फैमिलीज़ ऑफ़ जॉय फाउंडेशन

एडॉप्शन की नयी सोच

एडॉप्शन में अदालतों की भूमिका

भारत में दत्तक देने के लिए दो कानूनों के तहत प्रदान किया गया है - हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट १९५६ (HAMA) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट २०१५ (JJ एक्ट). जबकि दोनो विधियों के बीच कई भिन्नताएं हैं, इनमें सबसे बड़ी असमानता है किHAMA में एडॉप्शन को वैध बनाने के लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं है, जबकि JJ एक्ट के अन्दर यह अनिवार्य है. आइए प्रत्येक अधिनियम के तहत उत्पत्ति के साथ-साथ प्रावधानों का एक करीब से नज़र डालें

HAMA हिन्दुओं के लिए एक व्यक्तिगत कानून है। इसके तहत सभी दलों को गोद लेने के लिए, अर्थात जन्म माता-पिता,दत्तक माता-पिता और बच्चे का हिंदु होना अनिवार्य है. गोद की प्रक्रिया वैध होने के लिए बच्चे को अपनाया जाना चाहिए, वास्तव में दिया जाना चाहिए और इसमें लिया जाना चाहिए. इसके बाद बच्चा कनोनी तौर पर दत्तक माता पिता का तो हो जात हिया, किन्तु उसले अधिकार उसे तब ही मिल सकते है, जब कोई अदालत यह निर्णय दे की गोद की प्रक्रिया वास्तव में वैध थी. अदालत वास्तव में गोद लेने पर फैसला नहीं कर रही है – वह केवल यह रिकॉर्ड कर रही है की गोद की प्रक्रिया वैध थी.HAMA के अंतर्गत न तो कोई सरकारी विभाग, न ही कोई अदालत गोद लेने की प्रक्रिया की जांच करती है. माता पिता को इसका कोई भान नहीं होता की जिस बच्चे वो गोद ले रहे हैं, उसका शोषण तो नहीं हुआ है, कोई स्वस्थ्य सम्बन्धी चुनौती तो नहीं है, कोई बाल अधिकार तो नहीं छिन रहे, इत्यादि. क्योंकि HAMA के अंतर्गत गोद लेने में कोई जांच नहीं थी, तो अक्सर अदालतें यह सवाल जवाब माता पिता से तब करती थी जब वे गोदद लेने के बाद कोर्ट का निर्णय लेने के लिए आते थे. जो माता पिता कभी कोर्ट आते ही नहीं थे, उनके लिए किसी भी तरह की कोई जांच कभी नहीं हुई.

JJ एक्ट में गोद लेने के लिए कोर्ट का निर्णय अनिवार्य है. यह बहुत हास्यास्पद है क्योंकि, JJ एक्ट में अनेको सरकारी विभाग विभिन्न जांह करते है और कड़ी लम्बी प्रक्रिया के बाद ही माता पिता को बच्चा गोद दिया जाता है. जब CARA, एडॉप्शन एजेंसी, CWC, DCPU जैसे संस्थाओं ने गोद की प्रक्रिया में जांच की ओ, और नियमों के पालन करने के बाद ही माता पिता को बच्चा गोद में दिया हो, तो फिर कोर्ट की क्या भूमिका रह जाती है. असल में साडी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिर में अदालतों को शामिल करना एक परंपरा जैसी बन गयी है और अदालतें भी पुरे जोश के सतत वाही सभ प्रश्न पूछती हैं, जो पिछले 12-15 महीनों से बाकि सब विभाग जांच कर रे होते हैं.

दुःख की बात तो यह है, की अदालते अक्सर अपनी कार्यवाही पूरी करने में महीने लगा देती हैं. और जब केस कोर्ट में आता है तो या तो वे बनी बनायीं फाइल पर निरनय सुना देते है, या फिर प्पुराने सवाल दोहराते हैं. इस सब में माता पिता, बच्चे का समय ही नष्ट होता है. JJ एक्ट में अदालती निर्णय के अनिवार्य करने का अर्थ है किआपको बाकि सब स्नास्थाओं पैर भरोसा ही नहीं. तो फिर या तो उनको ही हटा दे, या फिर कोर्ट को!

मज़े की बात ये है की जब तक मामला द्विपक्षीय था (HAMA में), तब कोई अदालत बीच माँ नहीं आई, और जब इतने सारे विभाग शम्मिल हो गए हैं, तो अदालतें भी आ गयी हैं. यान यह बताना तर्कसंगत होगा की कई जज साहब भी एडॉप्शन के नियम, प्रक्रिया से अनजान हैं, और कितने ही कोर्ट केस सैलून तक लटके रहते हैं, या फिर गैर कानूनी शर्तों के साथ निबटाये जाते हैं. CARA का कितना ही समय जजों को भी जागरूक बनाने में जाता है.

फैमिलीज़
ऑफ़ जॉय
फाउंडेशन

एडॉप्शन की नयी सोच

JJ एक्ट में कड़े जांच के बाद, अदालती कार्यवाही तो ममोल्ली होनी चाहिए. लेकों होता इसके पिव्रीत है.
माँ बाप के लिए। काफी विपरीत! अपने बच्चे को मिलने में एक वर्ष से अधिक इंतजार करने के बाद, माता-पिता अदालतों में और कई सालों तक फंस जाते हैं.

ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने माता-पिता को गोद लेने वाली एजेंसियों के लिए लाखों रकम का भुगतान करने का आदेश दिया था, या फिर असंबंधित स्कूलों को . ऐसे आदेश दिए गए हैं जहां माता-पिता को बीमा पॉलिसी लेने या बनाने के लिए कहा गया है या फिर दसियों लाख रुपए के निवेश – और यह सभी अवैध है! यह सब इसलिए होता है क्योंकि न्यायाधीशों को HAMA से गोद लेने वाली फाइलों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां कोई भी नहीं जान च पड़ताल नहीं होती थी. दुर्भाग्य से, बच्चा कानूनन गोद लिया जा चुका होता था. यहाँ JJ एक्ट में जजों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जरूरत नहीं है.

JJ एक्ट में माता-पिता, CARA के ऑनलाइन सिस्टम केयरिंग में ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं, और बनाई गई तीन प्रोफाइल में से एक को स्वीकार करते हैं. वे उस प्रोफ़ाइल को भी प्रभावित नहीं कर सकते जो वे दिखाए जाएंगे, और वे केवल स्वीकार कर सकते हैं. चुने गए एक बच्चे को न स्वीकारने की दशा में वे प्रतीक्षा सूची के तले में चले जाते हैं. और इस सब के बाद जज सहह्ब आते हैं और फ़िल्मी सवाल पूछते हैं .

हमारे जीवन के कितना ही ज़रूरी दस्तावेज़ विभिन्न विभाग ज़ारी करते हैं. जैस की हमारे पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि जो पूरी तरह से कानूनी दस्तावेज संबंधित कार्यकारी द्वारा जारी किए गए हैं. यह दस्तावेज़ कम ज़रूरी नहीं हैं. ये हमारी राष्ट्रीयता, पहचान और विशेषाधिकारों को स्पष्ट रूप से स्थापित कर रहे हैं। फिर भी इनमें से कोई भी एक अदालत के निर्णय को ज़रूरी नहीं समझता. फिर गोद लेने में क्यों? हमारी दालतों के पास तो वैसे ही बहुत कार्य है.

यह बदलाव हमारे नीति निर्माताओं से ही नहीं बल्कि हमारे माता-पिता के समुदाय से भी आना होगा. समय आ गया है कि हम सोचें की गोद लेने के संबंध में हमारी न्यायपालिका का क्या योगदान है.